प्रेषक,

कमलेश कुमार
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 14 मई, 2026

विषय:- आदर्श कारागार लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी राजेश वर्मा पुत्र श्री हरद्वारी वर्मा, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-47880/प्रो0अनु0(2)-309/2025(बैठक दिनांक-19.12.2025), दिनांक-30.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी राजेश वर्मा पुत्र श्री हरद्वारी वर्मा, मोहल्ला पश्चिमी दीक्षिताना, कस्बा व थाना-गोला, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक-19.11.2005 को मंजू नाथ, सेल्स ऑफिसर ऑफ इण्डियन ऑयल की हत्या करने के लिए अपने 07 सहअभियुक्तों पवन, देवेश, संजय, लल्ला, हरीश, विवेक, राकेश, को अपनी राइफल दी थी जिससे मंजू नाथ की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-292/2006 में धारा-148, 302/149, 201, 120बी, 212 आई0 पी0सी0 व 25 ए एक्ट, 30 ए एक्ट के अन्तर्गत मा० सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 26.03.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 11.12.2009 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 27.11.2025 तक अपरिहार 19 वर्ष, 05, माह, 21 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष, 08 माह, 29 दिन की सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 27.11.2025 तक लगभग 44 वर्ष है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराते हुये उल्लेख किया गया है कि बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नही आने, बन्दी के भविष्य में पुन: अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, बंदी के पुनः अपराध कर सकने में अशक्त नहीं होने एवं बंदी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या उपलब्ध कराते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक-19.11.2005 को अभियुक्त ने मंजू नाथ, सेल्स ऑफिसर ऑफ इण्डियन ऑयल की हत्या करने के लिए अपने 07 सहअभियुक्तों पवन, देवेश, संजय, लल्ला हरीश, विवेक, राकेश, को अपनी राइफल दी थी जिससे मंजू नाथ की हत्या की गयी। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-473 (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432) सपठित जेल मैनुअल 2022 के प्रस्तार 180 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजेश वर्मा पुत्र श्री हरद्वारी वर्मा को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नॉमिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी राजेश वर्मा (बन्दी सं0-17145) श्री हरद्वारी वर्मा, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-497/2026/2509(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी
2- अधीक्षक, आदर्श कारागार लखनऊ।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।